

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 1474

दिनांक 27/6/18

प्रेषित :-


तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 994 / 10 अनवान कलूदेवी बनाम चूनीदेवी वगैरा में निर्णय की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 22.06.18 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
सहायक कलक्टर
(1500) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत
व इजलास
अनवान

सहायक कलक्टर चौहटन
श्री मूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

मुकाम

चौहटन

वादीनी - श्रीमती कलूदेवी पत्नि गोमाराम, जाति जाट
निवासी गोरों का तला, धनाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. श्रीमती चूनीदेवी पत्नि नाराराम 2. श्रीमती मीरादेवी पत्नि
कोशलाराम 3. रामूराम पुत्र हरजीराम 4. मोडाराम पुत्र ताजाराम,
जाति जाट, निवासी गोरों का तला, धनाऊ, तहसील चौहटन
5. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादीनी वकील -

श्री भाखराराम

प्रतिवादीगण वकील -

श्री जगदीश पोटलिया, श्री वीरमाराम

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 994/2010



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री भाखराराम गोदारा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री जगदीश पोटलिया, श्री वीरमाराम धारासर एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा गोरों का तला, धनाऊ में खसरा सं. 533/463 रकबा 68.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर.... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.06.2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर
चौहटन

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाह | रूपया | पै. |
|--|-------|-----|--|-------|-----|
| स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पहमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक | | |
| | | | मीजान | | |

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

| क्र. सं. | खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत | ग्राम | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|----------|--|--------------------|-----------|-------|--------|------|------|
| 1 | कलूदेवी पत्नि गोमाराम | गोरों का तला, धनाऊ | 533 / 463 | 07.13 | बा.सो. | 0.38 | हरा |
| योग | | | 1 | 7.13 | बा.सो. | 0.38 | हरा |
| 2. | चूनीदेवी पत्नि नाराराम, रामू वल्द हरजी, चूनीदेवी पत्नि नाराराम, मीरादेवी पत्नि कोशलाराम, मोडाराम वल्द ताजा, चूनीदेवी पत्नि नाराराम | गोरों का तला, धनाऊ | 533 / 463 | 61.01 | बा.सो. | 3.05 | पीला |
| योग | | | 1 | 61.01 | बा.सो. | 3.05 | पीला |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 994/2010

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान:-

वादीनी - श्रीमती कलूदेवी पत्नि गोमाराम, जाति जाट
निवासी गोरों का तला, धनाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. श्रीमती चूनीदेवी पत्नि नाराराम 2. श्रीमती मीरादेवी पत्नि
कोशलाराम 3. रामूराम पुत्र हरजीराम 4. मोडाराम पुत्र ताजाराम,
जाति जाट, निवासी गोरों का तला, धनाऊ, तहसील चौहटन
5. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादीनी वकील -

श्री भाखराराम

प्रतिवादीगण वकील -

श्री जगदीश पोटलिया, श्री वीरमाराम

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :- 22.06.18

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प धनाऊ में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा मय सहमति से तहसीलदार चौहटन से बंटवाड़ा तैयार करवा कर लोक अदालत/कोर्ट कैम्प में पेश करवाया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के आधार पर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा तहसील चौहटन के मौजा गोरों का तला, धनाऊ में खसरा सं. 533/463 रकबा 68.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

| क्र. सं. | खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत | ग्राम | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|----------|--|--------------------|----------|-------|--------|------|------|
| 1 | कलूदेवी पत्नि गोमाराम | गोरों का तला, धनाऊ | 533/463 | 07.13 | बा.सो. | 0.38 | हरा |
| योग | | | 1 | 7.13 | बा.सो. | 0.38 | हरा |
| 2. | चूनीदेवी पत्नि नाराराम, रामू वल्द हरजी, चूनीदेवी पत्नि नाराराम, मीरादेवी पत्नि कोशलाराम, मोडाराम वल्द ताजा, चूनीदेवी पत्नि नाराराम | गोरों का तला, धनाऊ | 533/463 | 61.01 | बा.सो. | 3.05 | पीला |
| योग | | | 1 | 61.01 | बा.सो. | 3.05 | पीला |



सुपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प धनाऊ मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन

फरद-मौका विभाजन प्रस्ताव राजस्व भा. सं. 994/10

अनवान कलू देवी बनाम
पूनी देवी वगैरा

आज दि. 21-06-18 को श्रीमान जहमीलदास चौहान के आदेश की पालना में न्यायालय में सहायक कलक्टर एवं उपरवण्ड अधिकारी चौहान के राजस्व वाद सं. 994/10 अनवान कलू देवी बनाम पूनी देवी वगैरा में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौजा गौरी का तला के खेद ख.न. 533/463 रकबा 69-02 बीघा के मौके पर रकसक मौलखरान वादी प्रतिवादी व हमराह पटवारी हल्का धनाडू के पहुँचकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया।

मौजा गौरी का तला की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 के नमा खारा संख्या 16 के आधारे पर ख.न. 533/463 रकबा = 68-14 बीघा की विभाजन मौका, राजस्व रकई अनुसारे निम्न प्रकार तैयार किया -
ख.न. 533/463 रकबा 69-02 बीघा में से 0-08 बीघा भूमि समपज की जा चुकी है। अतः वर्तमान में उपर खतर की रकबा 68-14 बीघा है।

Court-
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहान

| क्र.सं. | नाम आवेदाए | ख.सं. | रकबा | लगान दरंग |
|---------|--|---------|---------|-----------|
| 1. | कलू देवी पत्नी गौभाराम (वादी) | 533/463 | = 7-13 | 0-38 टका |
| 2. | पूनी देवी पत्नी नारायण राम वलद हरजी पूनी देवी पत्नी नारायण मीरा देवी पत्नी कौशालाराम मोडाराम वलद राजा पूनी देवी पत्नी नारायण (प्रतिवादी वगैरा) | 533/463 | = 61-01 | 3.05 पीला |

मौजा गौरी का तला के ख.न. 533/463 रकबा 68-14 बीघा की विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में डिक्री, राजस्व रकई व मौका कवजा नुसार रकसक हमराह पटवारी हल्का धनाडू, वादी, प्रतिवादी व मौलखरान के तैयार किया गया। फरद मौका विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार की जाकर परखत सुनामी गई। तलखचरि हलवा सुए अगूठा निशानात करचामे गये।

(Handwritten signature)

21-06-18
फरद


21-06-18
148 धनाडू

C.S
21.6.18
N.T. Chaudhary

किशोरराव
(किशोरराव/अजयराव)
मेघ

सिमल/सुराव
दरखवादी

उत्तराधिकार नक्शा, मौजा - गौरी का नला, तहसील - फौजपुर
 राजस्व कार्ड सं. 834/10 अनवान कलु देवी अनाम पुनी देवी
 मौजा पौंच विभाजन प्रस्ताव दि. 21-6-18 गौरी



सहायक कलक्टर
 (SDO) बौहटन

1. कलु देवी पानी गौमा राम
 (बादी)

बरंग हरा

2. पुनी देवी गौरी
 (प्रतिवादी गण)

बरंग पीला

C.S
 21-6-18
 14 घनाड

21-6-18

21-6-18

बरंग हरा
 (किशोराम/अजयाम मेठ.)
 पैनमैन

अति
 कलु देवी

अति
 गौरी

बरंग पीला
 (हरजोराम/नारायण)
 जाह
 गिरीकाशाम
 (मिथल/लुसाक)
 मुठ